

भारत के राजपत्र के असाधारण अंक के भाग-  
II, खंड-3(III) में तत्काल प्रकाशनार्थ

जम्मू-कश्मीर राज्य के राजपत्र के असाधारण  
अंक में तत्काल प्रकाशनार्थ

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 10 अप्रैल, 2017  
20 चैत्र, 1939 (शक)

### अधिसूचना

सं. 100/ईसीआई/प्रादे./उत्तर-1/जम्मू-कश्मीर-लो.स./2017(2): यतः, निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 149 की उप-धारा(1) के अधीन जारी अपनी अधिसूचना सं. 100/ईसीआई/प्रादे./उत्तर-1/जम्मू-कश्मीर-लो.स./2017(2), दिनांक 17 मार्च, 2017 के द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य में 3-अनन्तनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा की है क 4 जुलाई, 2016 को सुश्री महबूबा मुफ्ती के त्यागपत्र देने के कारण उक्त सदन में हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए 16 अप्रैल, 2017 से पूर्व लोक सभा सदस्य निर्वाचित कर दिया जाए; और

यतः, निर्वाचन आयोग ने दिनांक 17 मार्च, 2017 की अपनी उक्त अधिसूचना द्वारा उपर्युक्त अधिनियम की धारा 30 के अधीन नाम-निर्देशन दाखिल करने, नाम-निर्देशनों की समीक्षा करने, अभ्यर्थिताएं वापिस लेने के लिए विभिन्न तिथियां नियत की हैं तथा, अन्य बातों के साथ-साथ, 12 अप्रैल, 2017 को ऐसी तिथि के रूप में नियत किया है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कराया जाएगा; तथा

यतः, 10 अप्रैल, 2017 को जम्मू-कश्मीर के राज्य प्रशासन से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि उक्त 3-अनन्तनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विद्यमान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, निर्वाचन क्षेत्र में 12 अप्रैल, 2017 को यथा अनुसूचित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान कराए जाने के लिए अनुकूल नहीं है; तथा

यतः, राज्य प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी आशंका व्यक्त की है कि हिसंक घटनाएं जो 2-श्रीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कुछ भागों में जहां 9 अप्रैल, 2017 को मतदान के दौरान कुछ दुर्घटनाएं और कुछ की मृत्यु भी हुई, को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के लिए कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा उग्र प्रयास किए जा सकते हैं; तथा

**यतः**, राज्य प्रशासन ने अपनी उक्त रिपोर्ट में यह भी संस्तुति की है कि **12** अप्रैल, **2017** को **3**-अनन्तनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित मतदान को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए; तथा

**यतः**, निर्वाचन आयोग ने राज्य प्रशासन की उपर्युक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात तथा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दक्षिण कश्मीर के डिवीजनल कमीश्नर, निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी और अन्य संबंधित निर्वाचन प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त इनपुट को भी ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि उक्त **3**-अनन्तनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जहां **12** अप्रैल, **2017** को मतदान कराया जाना अनुसूचित है, में मतदान कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए तथा इसे **25** मई, **2017** को कराया जाएगा, जिस समय तक आयोग यह आशा करता है कि निर्वाचन क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था में सुधार हो जाएगा तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराए जाने के लिए स्थिति अनुकूल हो जाएगी;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, **1951** की धारा **30** तथा **153** के साथ पठित तथा साथ ही सामान्य खंड अधिनियम, **1951** की धारा **21** के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद **324** द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी उपर्युक्त अधिसूचना सं. **100/ईसीआई/प्रादे./उत्तर-1/जम्मू-कश्मीर-लो.स./2017(2)** दिनांक **17** मार्च, **2017** में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

खंड (आ) में उप खंड (iv) तथा (v) के लिए निम्नलिखित उप-खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे:-

“iv. वह तारीख, जिस दिन मतदान होगा- **25** मई, **2017** (गुरुवार); और

v. वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा- **01** जून, **2017** (गुरुवार)”

आदेश से,

(स्टैण्डहोप युहलुंग)

प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग